न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 33/2019

1. राजू पुत्र श्री हीरा, जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. नन्दलाल पुत्र श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. प्रेम पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. मनफूल पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. कंचन पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. नेराज पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादीगण

बनाम

1. श्री हीरा पुत्र स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादी

2. श्री नारायण पुत्र स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. श्री गोपाल पुत्र स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. श्रीमती सायर पुत्री स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. श्रीमती सुप्यार पुत्री स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. श्री काना पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. श्री रामलाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. श्री नोरत पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. श्री पप्पू उर्फ तेजू पुत्र पांचू जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. श्रीमती हीरा पत्नि श्री कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. श्री रामा पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. श्री रामकरण पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रर्फोमा प्रतिवादीगण

13. अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़ जिला अजमेर द्वारा प्रबन्धक

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिलोरा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 जरिये प्रबन्धक

15. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये प्रबन्धक

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

17. उप पंजीयक विभाग जरिये उप पंजीयक किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 12/10/2021

उपस्थितः श्री सुण्डाराम जाट वादीगण अभिभाषक

प्रतिवादी सं0 1 अभिभाषक

निर्णय

1. यह वाद वादी द्वारा जरिये वकील श्री सुण्डाराम जाट के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 88, 188 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 वादीगण द्वारा वाद में दावा किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 जो कि वादीगण के पिता है एवं प्रर्फोमा प्रतिवादी सं0 3 से 12 जो कि वादीगण के सहखातेदार है को ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बरना स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 357 पुराना 323 ख0नं0 175 रकबा 26–00–00 भूमि एवं ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बालापुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बरना स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 332 पुराना 327 ख0नं0 154 रकबा 00–07–00 व ख0नं0 156 रकबा 04–01–00 कुल किता 2 कुल रकबा 04–08–00 व खाता संख्या नया 331 पुराना 326 ख0नं0 152 रकबा 04–10–00, ख0नं0 250 रकबा 02–08–00, ख0नं0 294 रकबा 00–02–00, ख0नं0 295 रकबा 03–07–00 एवं ख0नं0 433 रकबा 04–05–00 कुल किता 5 कुल रकबा 14–12–00 भूमि अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण का पिता है एवं वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादीगण के दादा मोडू उर्फ मोडा वल्द प्रतिवादी संख्या 1 के पिता [illegible] मोडा के नाम राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में दर्ज थी आराजी [illegible] वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि है। यह कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का जन्म से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

वादीगण का हिस्सा निहित है। वादीगण के दादा मोडू उर्फ मोड़ा की मृत्यु के पश्चात् स्व0 मोडू उर्फ मोड़ा का विरासत का नामान्तरण संख्या 171 दिनांक 17.06.1995 एवं नामान्तरण संख्या 187 दिनांक 07.06.1993 हीरा वल्द मोडू उर्फ मोडा एवं नारायण, गोपाल पि0 मोडू उर्फ मोड़ा व गलकू बैवा मोडू उर्फ मोड़ा के नाम से गलत रूप से नन्दलाल, प्रेम,मनफूल, कंचन, एवं नेराज का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही किया गया। इसलिए नामान्तरण संख्या 171 दिनांक 17.06.1995 एवं नामान्तरण संख्या 187 दिनांक 07.06.1993 प्रारम्भ से ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधनो के विपरीत होने से विधि विरूद्ध होने से शून्य है। यह कि श्रीमति गलकू पत्नि स्व0 मोडू उर्फ मोड़ा की मृत्यु के पश्चात् विरासत का नामान्तकरण संख्या 1281 दिनांक 21.06. 2018 एवं नामान्तरण संख्या 979 दिनांक 21.06.2018 केवल मात्र हीरा, नारायण, गोपाल, सायरी, व सुप्यार के नाम दर्ज किया गया, जो नामान्तरकरण भी प्रारम्भ से ही पूर्णतया अवैध एवं शून्य हैं क्योंकि उस समय स्व0 गलकू के पुत्र हीरा के वारिसान पुत्र व पुत्रियां राजू, नन्दलाल, प्रेम, मनफूल, कंचन एवं नेराज मौजूद थी लेकिन राजस्व अधिकारियों की मिली भगती के कारण जानबूझकर राजस्व रिकॉर्ड में हीरा के पुत्र व पुत्रियों राजू, नन्दलाल, प्रेम, मनफूल, कंचन एवं नेराज का नाम दर्ज नही किया गया है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती के कारण वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार के रूप में अंकित होने से रह गया है इसलिए वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/7–1/7 हिस्सा के खातेदार के रूप में दर्ज करवाने हेतु तथा रिकार्ड दुरूस्ती एवं घोषणा हेतु यह वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। उक्त वर्णित पैतृक कृषि भूमि में वादीगण अपने पिता (प्रतिवादी सं0 1) के साथ–साथ सह कृषक है, इस बारे में राजस्व विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 में भी स्पष्ट निर्देश दिये गये है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक–प. 5(1)राज.–6/97/18 दिनांक 08.01.2007 में भी पैतृक भूमि के विभाजन के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। वाद कारण दिनांक 15.02.2019 को उस वक्त उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 से पुश्तैनी भूमि में से हिस्सा देने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रतिवादी सं0 1 ने दिनांक [illegible] को वादग्रस्त भूमि को अन्य किसी व्यक्ति आदि को रहन, दान, बेचान एवं [illegible] आदि करने की धमकी दी है इसलिए वादीगण द्वारा सम्यक तत्परता से यह वाद पेश किया गया है। प्रथम दृष्टया

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू पूर्णतया वादीगण के पक्ष में है। अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा सं0 1 में दर्शायी सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आयी भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/7–1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन दर्ज कराया जावे व वादीगण के हिस्से अनुसार कब्जे, काश्त में दखलन्दाजी व मदाखलत नहीं करने एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा वादीगण के हिस्से की भूमि को रहन, दान, बैचान, मुन्तकिल एवं किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने, भूमि की शक्ल परिवर्तन व निर्माण आदि नहीं करने हेतु प्रतिवादी सं0 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 16 को न्यायालय द्वारा घोषणात्मक डिक्री पारित किये जाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने तथा प्रतिवादी सं0 17 उप पंजीयक किशनगढ़ को उनके समक्ष प्रतिवादी सं0 1 अथवा उनके एजेन्ट, प्रतिनिधि, पॉवर ऑफ आर्टोनी होल्डर आदि के द्वारा वाद पत्र के पैरा सं0 1 में दर्शायी गई भूमि के बैचान, हस्तान्तरण के सन्दर्भ में दस्तावेज पेश किये जाने पर उसका पंजीयन नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

3. प्रतिवादीगण सं0 1 से [1]7 को वादपदों के स्थिरीकरण के लिये प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 23.09.2015 को प्रतिवादी सं0 2 से 15 का नाम तर्क किया गया एवं प्रतिवादी सं0 16 व 17 का जवाब दावा बन्द किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री रामधन पोषक द्वारा जवाब दावा पेश किया गया।

3.1 प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 की ओर से सहमती का जवाब दावा पेश कर अंकित किया कि वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी/जवाबकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 का सहमती का प्रतिउत्तर प्राप्त होने के कारण प्रकरण में विवादक बिन्दू कायम नहीं किये गये। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत् बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

4.1 वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी [illegible] पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादीगण के [illegible] संख्या 1 के पिता मोडू उर्फ मोडा के नाम राज[illegible] दर्ज थी आराजी में जन्म से हित निहित है। यह कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का जन्म से हिन्दू उत्तराधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

अधिनियम के अनुसार वादीगण का हिस्सा निहित है। वादीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती के कारण वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार के रूप में अंकित होने से रह गया है इसलिए वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में से प्रत्येक वादीगण को 1/7–1/7 हिस्सा के खातेदार के रूप में दर्ज करवाने हेतु तथा रिकार्ड दुरूस्ती एवं घोषणा हेतु यह वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करा सकते है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दू पूर्णतया वादीगण के पक्ष में है। अतः वादीगण द्वारा निवेदन किया कि वादपत्र के पैरा सं0 1 में दर्शायी सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आयी भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/7–1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया।

4.2 वकील प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपनी बहस के दौरान निवेदन किया कि वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

5. हमारे द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् एवं प्रतिवादी सं0 1 के जवाब का अद्योपांत अवलोकन एवं अध्ययन किया जाकर बहस पक्षकारान् सुन मनन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी सं0 1 का सहमती का प्रतिउत्तर प्राप्त होने के कारण प्रकरण में विवादक बिन्दू कायम नहीं किये गये। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 के तहत् बतौर साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः वादपत्र के पैरा सं0 1 में दर्शायी गई ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बरना स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 357 पुराना 323 ख0नं0 175 रकबा 26–00–00 भूमि एवं ग्राम बालापुरा पटवार हल्का बालापुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बरना स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 332 पुराना 327 ख0नं0 154 रकबा 00–07–00 व ख0नं0 156 रकबा 04–01–00 कुल किता 2 कुल रकबा 04–08–00 व खाता संख्या नया 331 पुराना 326 ख0नं0 152 रकबा 04–10–00, ख0नं0 250 रकबा 02–08–00, ख0नं0 294 रकबा 02–00–00, ख0नं0 295 रकबा 03–07–00 एवं ख0नं0 433 रकबा 01–05–00 कुल किता 5 कुल रकबा 14–12–00 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आयी भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/7–1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन दर्ज करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

व इजलास परसाराम आर.ए.एस.

1. राजू पुत्र श्री हीरा, जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. नन्दलाल पुत्र श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. प्रेम पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. मनफूल पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. कंचन पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. नेराज पुत्री श्री हीरा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादीगण

बनाम

1. श्री हीरा पुत्र स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादी

2. श्री नारायण पुत्र स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. श्री गोपाल पुत्र स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. श्रीमती सायर पुत्री स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. श्रीमती सुप्यार पुत्री स्व0 श्री मोडू उर्फ मोडा जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. श्री काना पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. श्री रामलाल पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
8. श्री नोरत पुत्र गोरधन जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
9. श्री पप्पू उर्फ तेजू पुत्र पांचू जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
10. श्रीमती हीरा पत्नि श्री कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
11. श्री रामा पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
12. श्री रामकरण पुत्र श्री कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम बालापुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रर्फोमा प्रतिवादीगण

13. अजमेर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड शाखा किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये प्रबन्धक
14. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सिलोरा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 जरिये प्रबन्धक
15. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बरणा, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर जरिये प्रबन्धक
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
17. उप पंजीयक विभाग जरिये उप पंजीयक किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 33/2019

निर्णय दिनांक : 12/10/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय हाजा में वकील पक्षकारान की बहस सुनने के बाद आज तारीख 12/10/2021 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री परसाराम, आर.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा, दस्तावेजात्, साक्ष्य वादी एवं बहस पक्षकारान

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

...ार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम काढ़ा पटवार हल्का बालापुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र ... स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 357 पुराना 323 ख0नं0 175 रकबा 26–00–00 भूमि एवं ग्राम ...लापुरा पटवार हल्का बालापुरा भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र बरना स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 332 पुराना 327 ख0नं0 154 रकबा 00–07–00 व ख0नं0 156 रकबा 04–01–00 कुल किता 2 कुल रकबा 04–08–00 व खाता संख्या नया 331 पुराना 326 ख0नं0 152 रकबा 04–10–00, ख0नं0 250 रकबा 02–08–00, ख0नं0 294 रकबा 00–02–00, ख0नं0 295 रकबा 03–07–00 एवं ख0नं0 433 रकबा 04–05–00 कुल किता 5 कुल रकबा 14–12–00 भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आयी भूमि में प्रत्येक वादीगण को 1/7–1/7 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में इसी अनुसार अंकन दर्ज करने के आदेश दिये जाते है।

यह डिक्री आज तारीख 12/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested

के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन की कार्यवाही करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(परसाराम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.01.31 13:37:22 IST
Reason: SelfAttested